फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या : 166/2025

उनवानः– शशि बनाम बृजेश

पत्रावली आज दिनांक 15.10.2025 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मूलवाद में श्री एस0के0यादव अधिवक्ता ने वकीलतनामा पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब न देकर बहस टीआई हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की बहस टीआई पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेताज व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् तकासमा हेतु प्रस्तुत किया गया है मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है मूलवाद अन्तिम निस्तारण में है इसलिए मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 25.08.2025 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या नया 258 पुराना खाता संख्या 177 के खसरा नंबर 549 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर वाकै ग्राम सिराणी मय गणपतपुरा पटवार हल्का भापुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर